न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 121/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 हापुराम पुत्र मूलाराम 2 रिकाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0।		1. तेजाराम पुत्र रामाराम 2. दाखुदेवी पत्नी ढगलाराम 3. गोपालराम पुत्र ढगलाराम जाति सिरवी निवासीगण रामासनी बाला तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत(भू0अ0) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश चन्द पालरिया अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01
3. तहसीदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 24/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रामासनी बालां तह0 सोजत के प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा संख्या 355 रकबा 0.96 है0 की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 349, 357 कुल रकबा 3.1400 है0 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 355 ग्राम रामासनी बाला की सरहद में होना बताया है तथा अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 349 व 357 होना बताया है, जो सही है। प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र विद्यमान मार्ग को चौड़ा व विस्तारित करते हुए 15 फुट चौड़ा नया रास्ता बनाने के कथन करते हुए पेश किया गया है, प्रार्थीगण के कथनानुसार जब विद्यमान मार्ग स्थित है तो नया मार्ग कतई कायम करवाया जाना अति आवश्यक नहीं है। धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किसी भी खातेदार को अत्याधिक आवश्यक होने पर ही रास्ता दिलाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में वादी के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कथानानुसार थी। विद्यमान मार्ग होना साबित है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता कतई कायम करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के खसरा संख्या 349 व 357 में से रास्ते की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि खसरा संख्या 349 व मुख्य सड़क के बीच खसरा संख्या 411 भी स्थित है, जो पानी का बहाव क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मुख्य रास्ते से नहीं जुड़ता है। जिससे ऐसा रास्ता कतई नही दिया जा सकता है। जबकि किसी खातेदार द्वारा रास्ते की मांग किसी निकटतम रास्ते से उसकी खातेदारी हक की कृषि भूमि तक मांग कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 411 में से होकर कोई रास्ते की मांग नही की गई है। जिससे प्रार्थीगण के द्वारा मांग किया गया रास्ता मुख्य सड़क के कतई मिलान नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण को कतई रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होने तथा मात्र सुविधा की दृष्टि से कतई नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के होने से खारिज किया जावें। अप्रार्थी सं0 04 जवाब प्रार्थना पत्र पेश करना नहीं चाहने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता हैं।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/661 दिनांक 27.05.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 खारीया नींव, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी खसरान में जाने हेतु ख.नं. 411 किस्म गै0मु0 बाला में आवागमन हेतु मुड़िया सड़क बनाई गई हैं। नजरी नक्शे दर्शित बिन्दु ए से बी के मध्य सीमेन्ट के पोल व फाटक लगी हुई है। प्रार्थीगण के खसरे में जाने हेतु 3 मी0 चौड़ा रास्ता ख.नं. 349, 357 में से 828 वर्गमीटर रास्ते के रूप में दिया जाना अपेक्षित हैं। उक्त मार्ग ही लघुतम व वैकल्पिक है, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता वकुलाय व तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा रामासनी बालां तह0 सोजत के प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा संख्या 355 रकबा 0.96 है0 की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 349, 357 कुल रकबा 3.1400 है0 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये वांछित रास्ते तथा मुख्य सडक के मध्य ख.नं. 411 किस्म गै0मु0 बाला की जल भराव की स्थित होने से उक्त रास्ता दियां जाना संभव नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज किया जावें। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 349, 357 में से रास्ता चाहा गया है, जबकि मुख्य मार्ग तथा अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 349 के मध्य ख.नं. 411 किस्म गै0मु0 बाला जल भराव की भूमि आई हुई स्थित है, जिससे रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 24/07/2015 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत